

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. स.	खाता नं०	खसरा नंबर	रकबा इम्प्लू	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	286	447 वंगौर विगा 02	0.6702  1.3404	नीना पुज नगा जाति - असासिया सा. डेट खातेदार रहन. सा. वी. लीक शाखा - मानपुर।	नीना पुज नगा जाति - असासिया सा. डेट खातेदार रहन - संजस्थान शाखा - मानपुर।	

मूलाधिक मिसल/जमाबन्दी संपत 1971-72 (19/11/2022) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रत्येकी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

म०हल्का क्यापिया मू०अ०नि० कृष्णपुर की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

म०हल्का क्यापिया मू०अ०नि० कृष्णपुर राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धिकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबन्दी में जमल किया जाये।

दिनांक 19/11/2022  
 पंचायत अधिकारी (भा. अ.)  
 पंचायत मण्डल  
 तहसील - आबूरोड (सिरोही)

दिनांक 19/12/2022  
 ह० मू०अ०नि०  
 जिला-सिरोही

ह० राजस्व अधिकारी  
 तहसालदार आबूरोड  
 जिला-सिरोही  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जिला-सिरोही  
 उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड